"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 246] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 जून 2017 — आषाढ़ 1, शक 1939

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 जून 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-22/2015/वाक. (पंजी)/पांच (61). — राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य की छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 से संबंधित जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-22/2015/वा. क. (पं.)/पांच (62), दिनांक 23-06-2016 एवं क्रमांक एफ 10-22/2015/वा. क. (पं.)/पांच (42), दिनांक 17-04-2017 निरसित करता है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 25-05-2017 से प्रभावशील मानी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.